

राजस्थान सरकार

स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक :पं.17(20)/प्राशि/आयो./जि.धौलपुर/समन्वयन/2016

दिनांक : 14/06/2016

आदेश

एक ही राजस्व ग्राम में अत्यन्त नजदीक एक से अधिक राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित होने के कारण विद्यालयों में पर्याप्त नामांकन उपलब्ध नहीं हो पाता है। जिसके कारण आर.टी.ई. मानदण्डों के अनुसार अध्यापकों के पद स्वीकृत करने के बावजूद भी प्रत्येक कक्षा हेतु पृथक शिक्षक की उपलब्धता संभव नहीं हो पाती है एवं शिक्षा की गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित होती है।

इस स्थिति को मध्यनजर रखते हुए कम नामांकन वाले प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उसी राजस्व ग्राम के निकटतम अन्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में समन्वित करने हेतु निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा प्रस्ताव तैयार कर आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर को प्रेषित किए गए। समन्वयन के प्रस्तावों की जांच एवं परीक्षण हेतु आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर से प्राप्त प्रस्तावों की आर.टी.ई. मापदण्डों के अन्तर्गत जांच उपरान्त शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु समन्वयन के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किए गए।

विभाग द्वारा परीक्षण उपरान्त स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने के लिए जिला धौलपुर के कम नामांकन वाले कॉलम संख्या 5 में वर्णित विद्यालय को कॉलम संख्या 6 में वर्णित विद्यालय में समन्वित किए जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

जिला -धौलपुर
ग्रामीण क्षेत्र

जिले का नाम	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	विद्यालय का नाम जिसे समन्वित किया जाना है।	विद्यालय का नाम जिसमें कॉलम संख्या 5 के विद्यालय का समन्वित किया जाना है।	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
धौलपुर	बसेडी	बरौली	हुलासपुरा	राप्रावि हुलासपुरा	राप्रावि शि.क कांसपुरा	
धौलपुर	बसेडी	दौपुरा	जटपुरा	राप्रावि अंगद का पुरा	राप्रावि जटपुरा	
धौलपुर	बसेडी	नादनपुर	पोहई	राप्रावि कसियापुरा	राप्रावि पोहई	
धौलपुर	बाडी	कुदिन्ना	कुदिन्न	राप्रावि खिरकारी	राप्रावि पछेडियापुरा	
धौलपुर	बाडी	सिगौरई	बटेश्वरखुर्द	राप्रावि नेनैईया की ढाणी	राउप्रावि बटेश्वरखुर्द	
धौलपुर	राजाखेडा	ढौढिकापुरा	परसौदा	राप्रावि परसौदा	राप्रावि0 लूलाकापुरा	
धौलपुर	राजाखेडा	जसूपुरा	कुर्सेडा गूजरान	राप्रावि श्यामाकापुरा	राउप्रावि कुर्सेडा गूजरान	

6

धौलपुर	राजाखेडा	जसपुरा	पटी	राप्रावि बाबूकापुरा	राप्रावि पटी	
धौलपुर	राजाखेडा	जलालपुर	राण्डौली	राप्रावि तीरकापुरा	राउप्रावि राण्डौली	
धौलपुर	धौलपुर	कोटरा	कूकपुर	एसकेएस कूकपुर	प्रावि ढहरा	
धौलपुर	धौलपुर	सरानी	धीमरी	प्रावि कबूतरों का पुरा	उप्रावि धीमरी	
धौलपुर	धौलपुर	सादिकपुर	भिर्जापुर	प्रावि कृदनपुरा	प्रावि भिर्जापुर	
धौलपुर	सैण्ड	मढा कौकोली	मढा	प्रावि ब्राह्मण झोंपडी	उप्रावि मढा	

शहरी क्षेत्र

जिले का नाम	ब्लॉक	नगर पालिका / नगर निगम	वार्ड नं.	विद्यालय का नाम जिसे समन्वित किया जाना है।	विद्यालय का नाम जिसमें कॉलम संख्या 5 के विद्यालय का समन्वित किया जाना है।	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
धौलपुर	राजाखेडा	नगरपालिका राजाखेडा	नगरपालिका राजाखेडा	राप्रावि वार्ड नं. 15	राप्रावि भूतेश्वर	

उक्त समन्वयन निम्न दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा :-

- समाहित होने वाले कॉलम संख्या 5 के राजकीय विद्यालय का पृथक से कोई प्रशासनिक अस्तित्व नहीं रहेगा तथा समस्त कक्षाएँ कॉलम संख्या 6 के समन्वित विद्यालय के अधीन संचालित की जायेगी।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के द्वारा एकीकरण के पश्चात स्थापित समन्वित विद्यालय की विद्यार्थी संख्या के आधार पर राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक पदों के मानदण्डों के निर्धारण हेतु जारी दिशा-निर्देश क्रमांक प.5(8)प्राशि/2016 दिनांक 21.04.2016 के अनुसार पदों का पुनः निर्धारण किया जायेगा एवं स्वीकृत पदों के आधार पर अधिशेष होने वाले शिक्षकों को अन्य विद्यालयों के रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जावेगा।
- एकीकरण के पश्चात् स्थापित होने वाले कॉलम संख्या 6 के विद्यालय को समाहित होने वाले कॉलम संख्या 5 के विद्यालय की समस्त स्थाई एवं अस्थायी परिसम्पत्तियां यथा भूमि, भवन, खेल मैदान, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, उपयोगी एवं अनुपयोगी सामग्री आदि का हस्तान्तरण स्वतः ही हो जायेगा। एकीकरण से स्थापित समन्वित विद्यालय द्वारा कक्षाओं के संचालन में समस्त भवन परिसरों का आवश्यकतानुसार समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। समुचित उपयोग पश्चात रिक्त रहने वाले परिसर का उपयोग निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

5

